छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त–2025/01

दिनांक 29 मार्च, 2025, को पूर्वाह्न 11:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन में कार्य परिषद की 2025/01वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुये :–

1.	**प्रो० विनय कुमार पाठक** कुलपति, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय कानपुर।	अध्यक्ष
2.	**प्रो० सुधीर कुमार अवस्थी** प्रति–कुलपति, डीन, लाइफ साइंस, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
3.	**मा0 न्यायमूर्ति श्रीकांत त्रिपाठी, (से0नि0)** (सदस्य न्यायिक) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, निवास–2/146–डी0 विशेष खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	सदस्य
4.	**प्रो० दिलीप सर देसाई** (सेवानिवृत्त प्राचार्य) विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कालेज, नवाबगंज, कानपुर।	सदस्य
5.	**प्रो0 शलभ** डीन एकेडमिक अफेयर्स, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर–208016।	सदस्य
6.	**डॉ0 उमेश पालीवाल** एम0डी0, पालीवाल डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर, निवास–117/एच0– 1/ 02, पाण्डु नगर, कानपुर– 208005।	सदस्य
7.	**प्रो० मुरलीधर राम गुप्ता** क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।	सदस्य
8.	**प्रो० कैलाश नाथ मिश्रा** संकायाध्यक्ष–वाणिज्य, अर्मापुर पी०जी० कालेज, अर्मापुर, कानपुर।	सदस्य
9.	**प्रो० अंशु यादव** आचार्या, एस०बी०एम०, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय कानपुर।	सदस्या
10.	**प्रो० नीरज कुमार सिंह** आचार्य, एस०बी०एम०, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
11.	**प्रो० संदीप कुमार सिंह** आचार्य, लाइफ लॉग लर्निंग एण्ड एक्सटेंशन विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
12.	**प्रो० अमर श्रीवास्तव** प्राचार्य, हरसहाय डिग्री कालेज, कानपुर।	सदस्य
13.	**प्रो० रवि कुमार** प्राचार्य, तिलक महाविद्यालय, औरैया।	सदस्य
14.	**डॉ० पंकज द्विवेदी** सह–आचार्य, विधि विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
15.	**डॉ० गोपाल सिंह** सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य

29.03.2025

16.	**डॉ० पुष्पा ममोरिया** सह–आचार्या, यू०आई०ई०टी०, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्या
17.	**डा० मंजू लता द्विवेदी** सह–आचार्या, इकोनॉमिक्स, वी०एस०एस०डी० कालेज, नवाबगंज कानपुर।	सदस्या
18.	**श्री अशोक कुमार त्रिपाठी** वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
19.	**श्री राकेश कुमार** परीक्षा नियत्रंक, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
20.	**प्रो० बृष्टि मित्रा** आचार्या/डीन, एकेडमिक, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्या
21.	**डॉ० अनिल कुमार यादव** कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा माननीय कार्य परिषद में नवनियुक्त सदस्यों डा० कैलाश नाथ मिश्रा, प्रो० संदीप कुमार सिंह, प्रो० रोली शर्मा, डा० पकंज द्विवेदी, डा० गोपाल सिंह, डा० मंजू लता द्विवेदी एवं डा० पुष्पा ममोरिया तथा उपस्थित माननीय सदस्यों का स्वागत किया तथा कार्यकाल समाप्त कर चुके सदस्य प्रो० मुकेश रंगा, प्रो० वर्षा गुप्ता, डा० सूफिया सहाब, डा० शिल्पा देशपाण्डे कायस्थ, डा० प्रमोद कुमार यादव, डा० तनुजा भट्ट एवं डा० आरती सक्सेना को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक आरम्भ की गयी, जिसका कार्यवृत्त निम्नवत् है:–

मद सख्या

विषय

2025–1.1 **कार्य परिषद की बैठक दिनांक 25.09.2024 में लिये गये निर्णयों पर सम्पुष्टि पर विचार।**

कार्य परिषद द्वारा विगत बैठक दिनांक 25.09.2025 में लिये गये निर्णयों पर सर्वसम्मति से सम्पुष्टि प्रदान करते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अपेक्षित कार्यवाही–प्रशासन विभाग)

2025–1.2 **कार्य परिषद की बैठक दिनांक 25.09.2025 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही पर सम्पुष्टि पर विचार।**

कार्य परिषद द्वारा विगत बैठक दिनांक 25.09.2025 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही पर सर्वसम्मति से सम्पुष्टि प्रदान करते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अपेक्षित कार्यवाही–प्रशासन विभाग)

2025–1.3 **परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 04.12.2024 एवं 21.03.2025 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।**

परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षा समिति की उपरोक्त बैठक दिनांक 04.12.2024 एवं 21.03.2025 में लिये गये प्रमुख निर्णयों से अवगत कराया गया। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर समर्थ पोर्टल पर छात्र–छात्राओं के परीक्षा फार्म पूरित कराने एवं परीक्षाफल घोषित किये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम स्थान पर है। कार्य परिषद द्वारा माननीय कुलपति जी एवं अन्य अधिकारीगण की प्रंशसा करते हुये परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 04.12.2024 एवं बैठक दिनांक 21.03.2025 की कार्यवाही को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अपेक्षित कार्यवाही–परीक्षा नियत्रंक)

29.03.2025

2025—1.4 **भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.03.2025 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।**

सम्पत्ति अधिकारी द्वारा भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.03.2025 में लिये गये प्रमुख निर्णयों से अवगत कराया गया। कार्य परिषद द्वारा सम्यक् चर्चा करते हुये भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 21.03.2025 की कार्यवाही को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अपेक्षित कार्यवाही—सहायक अभियन्ता (सिविल)

2025—1.5 **विद्या परिषद की बैठक दिनांक 21.03.2025 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।**

डीन, एकेडमिक द्वारा विद्या परिषद की बैठक दिनांक 21.03.2025 में लिये गये प्रमुख निर्णयों से अवगत कराया गया। कार्य परिषद द्वारा सम्यक् चर्चा करते हुये विद्य परिषद की बैठक दिनांक 21.03.2025 के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अपेक्षित कार्यवाही—डीन, एकेडमिक

2025—1.6 **वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.03.2025 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।**

वित्त अधिकारी जी द्वारा वित्त समिति की 71वीं बैठक दिनांक 22.03.2025 में लिये गये प्रमुख निर्णयों से अवगत कराया गया। वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या— 2025:71:14 (अ0बि0) द्वारा क्रय नियमावली / एस0ओ0पी0 को स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

इस सम्बन्ध में क्रय प्रणाली के सरलीकरण तथा पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सम्बन्धित शासनादेशों एवं जेम पोर्टल के निर्देशों के अनुरूप क्रय विभाग द्वारा नवीन क्रय नियमावली / एस0ओ0पी0 प्रस्तुत की गयी है। कार्य परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गयी तथा वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या—2025:71:14 (अ0बि0) को तदनुसार संशोधित मानते हुए वित्त समिति की बैठक दिनांक—22.03.2025 के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अपेक्षित कार्यवाही—वित्त अधिकारी

2024—4.7 **कार्यालय आदेश संख्या सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सा0प्रशा0 / 240 / 2025 दिनांक 17.03.2025 द्वारा कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रो0 विनीत कंसल, निदेशक आई0ई0टी0 लखनऊ को विश्वविद्यालय की वित्त समिति का सदस्य नामित किया गया है, के सम्बन्ध में संसूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।**

कार्य परिषद, तदनुसार ससूंचित हुई तथा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अपेक्षित कार्यवाही—प्रशासन विभाग

29.03.2025

2025—1.8 **कार्यालय आदेश संख्या सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सा0प्रशा0/2627/2024 दिनांक 18.12.2024 द्वारा प्रो0 आर0के0 द्विवेदी, निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद का सेवा विस्तरण आगामी 03 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु की अवधि जो भी पहले हो तक के लिये किया गया है, के सम्बन्ध में संसूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।**

प्रो0 राजेश कुमार द्विवेदी, निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद का कार्यकाल दिनांक 20.12.2024 को पूर्ण होने के क्रम में विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधानित व्यवस्थानुसार अग्रले 03 वर्ष की पदावधि अथवा उनके द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि, जो भी पहले हो तक के लिए आदेशानुसार कार्यालय आदेश संख्या—सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सा0प्रशा0/2627/2024 दिनांक 18.12.2024 द्वारा सेवाऐं विस्तारित की गयी है। डॉ द्विवेदी को पुर्वानुसार अनुमन्य वेतन तथा भत्ते उन्हे अपने मूल नियोक्ता महाविद्यालय से सेवानिवृत्त होने की तिथि तक प्राप्त रहेंगे एव तत्पश्चात् प्रसंगाधीन नियुक्ति के शेष काल खण्ड हेतु उन्हें आहरित अन्तिम वेतन से स्वीकृत पेंशन की राशि को घटाते हुये शेष राशि ही वेतन के रूप में प्राप्त होगी।

कार्य परिषद, तदनुसार ससूंचित हुई तथा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अपेक्षित कार्यवाही—प्रशासन विभाग)

2025—1.9 **प्रो0 सुविज्ञा अवस्थी, आचार्य (निलम्बित), स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के सम्बन्ध में जॉच समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या और उस जॉच आख्या के संदर्भ में प्रो0 सुविज्ञा अवस्थी के प्रतिउत्तर पर विचार।**

विश्वविद्यालय द्वारा बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से समस्त शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों की बायोइन्फारमेटिक्स विवरण संकलित करने के उपरान्त माह मार्च, 2022 के अन्तिम सप्ताह से बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करना प्रारम्भ किया गया था। प्रो० सुविज्ञा अवस्थी, आचार्य, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेन्ट द्वारा भी इस बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली पर दिनांक 31.03.2022 को आनलाइन उपस्थिति दर्ज करायी गयी, किन्तु इतके पश्चात प्रो० सुविज्ञा अवस्थी द्वारा अपने बायोइन्फ्रार्मेशन के गलत उपयोग की सम्भावना को आधार बनाते हुए बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने से इन्कार कर दिया गया। प्रो० सुविज्ञा अवस्थी के इस शंका के सम्बन्ध में कुलपति जी द्वारा पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2022 के माध्यम से प्रो० सुविज्ञा अवस्थी को यह आश्वस्त किया गया था कि किसी भी व्यक्ति से सम्बन्धित व्यक्तिगत सूचना विश्वविद्यालय के सर्वर पर पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकाल के साथ संरक्षित की जाती है तथा विश्वविद्यालय स्तर से सूचनाओं के दुरूपयोग की सम्भावना कतई नहीं है।

माननीय कुलाधिपति/श्री राज्यपाल कार्यालय के आदेश संख्या—ई—2123/जी.एस., दिनांक 18.04.2022 द्वारा प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों को निर्देश दिये गये कि तात्कालिक प्रभाव से वे अपने विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों की उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से दर्ज कराना सुनिश्चित करें। साथ ही, आदेश पत्र में यह भी निर्देश दिये गये कि बायोमैट्रिक दर्ज करायी गयी उपस्थिति के आधार पर ही सम्बन्धित को वेतन भुगतान किया जाए माननीय कुलाधिपति महोदया के उक्त निर्देश को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय के पत्रांक सी.

29.03.2025

एस.जे.एम.यू. / आर,कैम्प. / 618 / 2022 दिनांक 25.04.2022 व विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सीएसजेएमयू / बीसीसी / 579 / 2022 दिनांक 26.05.2022 द्वारा समस्त शिक्षकों / अधिकारियों / कर्मचारियों को तात्कालिक प्रभाव से बायोमैट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे। माननीय कुलाधिपति जी के उक्त निर्देश की अवहेलना करते हुए प्रो० सुविज्ञा अवस्थी द्वारा बायोमैट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज नहीं करायी गयी जिसके फलस्वरूप प्रो० सुविज्ञा अवस्थी का मई, 2022 से वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका।

प्रो० सुविज्ञा अवस्थी द्वारा तत्समय वेतन भुगतान के सन्दर्भ में प्रस्तुत प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से स्पष्ट किया जा चुका है कि बायोमैट्रिक उपस्थिति मान्य तरीके से ही उपस्थिति दर्ज कराने पर सम्बन्धित कालखण्ड का वेतन भुगतान अनुमन्य होगा। इसके विरुद्ध प्रो० सुविज्ञा अवस्थी द्वारा मा० उच्च न्यायालय में याचिका योजित करते हुए बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को चुनौती दी गयी एवं वेतन भुगतान के निर्देश देने का अनुरोध किया गया। प्रो० सुविज्ञा अवस्थी की याचिका पर सुनवाई उपरान्त अद्यतन मा० उच्च न्यायालय ने बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने और उक्त आधार पर सकलित उपस्थिति के अनुसार वेतन भुगतान की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगायी है।

उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों के साथ मा० कुलाधिपति कार्यालय के निर्देश के आलोक में उक्त प्रकरण मा० कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 01.03.2023 को पटल पर प्रस्तुत किया गया तथा कार्यपरिषद के निर्णय के आलोक में प्रो० सुविज्ञा अवस्थी को अन्तिम अवसर देते हुए पत्र निर्गमन की तिथि से आगामी 04 कार्य दिवसों में बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक सी.एस.जे.एम.वि.वि. / सा.प्रशा. / 243 / 2023 दिनांक 12.04.2023 द्वारा अवगत कराया गया था, किन्तु प्रो० सुविज्ञा अवस्थी द्वारा मा० कार्यपरिषद के उक्त निर्णय को अस्वीकार करते हुए बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं करायी गयी। इसके क्रम में पुनः विश्वविद्यालय के पत्रांक सी.एस.जे.एम.यू. / वीसीसी / 1138 / 2023 दिनांक 22.06.2023 द्वारा कार्यपरिषद के निर्णय के अनुपालन को सुनिश्चित कराये जाने के लिए प्रो० सुविज्ञा अवस्थी को बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने हेतु दिनांक 26.06.2023 तक का समय दिया गया था। पत्र में यह भी उल्लिखित था कि यदि निर्धारित तिथि तक उनके द्वारा बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना शुरू नहीं किया जाता है तो यह मानते हुए कि वह विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालयी सेवा शर्तों के अनुसार सेवा करने की इच्छुक नहीं है तथा तद्स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा। प्रो० सुविज्ञा अवस्थी द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक भी बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज ना कराते हुए इस पत्र के सन्दर्भ में दिनांक 24.06.2023 को एक पत्र कुलपति जी को प्रेषित किया गया। उक्त पत्र के सन्दर्भ में कुलपति जी के कार्यालय पत्रांक सीएसजेएमयू / वीसीसी / 1234 / 2023 दिनांक 24.07.2023 के द्वारा प्रो० सुविज्ञा अवस्थी के उत्तर को अस्वीकार करते हुए बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रो० सुविज्ञा अवस्थी को पुनः दिनांक 27.07.2023 तक का अन्तिम अवसर प्रदान किया गया फिर भी प्रो० सुविज्ञा अवस्थी द्वारा निर्धारित अवधि तक भी बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करायी गयी।

29.03.2025

प्रो० सुविज्ञा अवस्थी के प्रकरण को दिनांक 28.07.2023 को सम्पन्न मा० कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्तुत किया गया जिसमें मा० कार्यपरिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रो० सुविज्ञा अवस्थी द्वारा मा० कुलाधिपति व कार्यपरिषद के आदेशों की निरन्तर अवहेलना के दुष्कृत्य के सम्बन्ध में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए स्वतंत्र जांच करायी जाए व जांच की कार्यवाही की निष्पक्षता एवं शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए जांच की कार्यवाही के दौरान प्रो० सुविज्ञा अवस्थी को निलंबित रखा जाए। कार्यपरिषद के उक्त निर्णय के आलोक में प्रो० सुविज्ञा अवस्थी को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए प्रति कुलपति कार्यालय से सम्बद्ध किया गया।

इस सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा दिनांक 13.01.2025 को अपनी जॉच आख्या प्रस्तुत की गयी जिसमें उनके उपरोक्त कृत्य हेतु उन्हें विश्वविद्यालय परिनियम 16.02, 16.03 तथा 16.04 (1)(a)(b) एवं (c), छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय परिनियमावली सपठित नियुक्ति पत्र दिनांकित 17.09.2020, नियम–1(i) एवं 4(i), विश्वविद्यालय शिक्षकों की पेशेवर नैतिकता का उल्लघंन करके घोर अनुशासनहीनता एवं कदाचार का दोषी पाया गया।

इस क्रम में पत्रांक– सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सा0प्रशा0/146/2025 दिनांक 06.02.2025 द्वारा डॉ0 सुविज्ञा अवस्थी को प्रकरण पर जांच समिति की रिपोर्ट संलग्न करते हुए जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। प्रो0 सुविज्ञा अवस्थी द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.02.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि चिकित्सक की सलाह के अनुसार वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि वह वर्तमान में मानसिक और शारीरिक रूप से कार्य नहीं कर सकती है। वह उचित उपचार और स्वस्थ्य होने के बाद विश्वविद्यालय में उपस्थित हो जायेगी'' उक्त पत्र से अवगत होते हुये आदेशानुसार प्रो0 सुविज्ञा अवस्थी को पुनः एक पत्र प्रेषित कर अपने पक्ष को रखने एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अद्यतन जारी किए गये प्रमाण पत्र एक सप्ताह के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने हेतु पत्र निर्गत किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। डॉ0 सुविज्ञा अवस्थी को पत्रांक–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सा0प्रशा0/225/2025 दिनांक 06.03.2025 निर्गत करते हुये डाक द्वारा प्रेषित किया गया, जिसका प्रतिउत्तर अद्यतन अप्राप्त है।

कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से जॉच समिति की आख्या दिनांक 13.01.2025 पर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा प्रो0 सुविज्ञा अवस्थी के उपरोक्त कृत्य हेतु उन्हें दीर्घ शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से प्रो0 सुविज्ञा अवस्थी को विश्वविद्यालय परिनियम 16.02, 16.03 तथा 16.04 (1)(a)(b) एवं (c), छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय परिनियमावली सपठित नियुक्ति पत्र दिनांकित 17.09.2020 के शर्त संख्या 1(i) एवं 4(i) तथा विश्वविद्यालय शिक्षकों की पेशेवर नैतिकता का उल्लघंन करके घोर अनुशासनहीनता एंव कदाचार का दोषी होने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से सेवाच्युत किया जाता है।

(अपेक्षित कार्यवाही–कुलसचिव)

29-03-2025

2025–1.10 **डा0 अभिषेक मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइफ लॉग लर्निंग एण्ड एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, के सम्बन्ध में जॉच समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या और उस जॉच आख्या के संदर्भ में डा0 अभिषेक मिश्रा के प्रतिउत्तर पर विचार।**

परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के लाइफ लॉग लर्निंग एण्ड एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत डा0 अभिषेक मिश्रा के संदर्भ में श्रीमती ज्योति मिश्रा द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र जिसमें उन्होंने स्वयं को श्री अभिषेक मिश्रा की पत्नी होने का उल्लेख करते हुये डा0 मिश्रा के अन्य महिला के साथ विवाहेत्तर सम्बन्ध और उनके द्वारा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत अपने आवेदन पत्र में वैवाहिक स्थिति के संदर्भ में गलत तथ्यों का उल्लेख करने की शिकायत की थी पर जांच हेतु, विश्वविद्यालय की प्रथम नियमावली के अध्याय–16 सपठित अध्याय–8 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित अनुशासनात्मक जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या का संज्ञान लिया गया, जिसमें अनुशासनात्मक जांच समिति द्वारा डा0 अभिषेक मिश्रा के विरूद्ध जांच पत्र में उल्लिखित आरोप को सिद्ध पाया गया है। परिषद ने अनुशासनात्मक जांच समिति की आख्या पर डा0 अभिषेक मिश्रा के प्रतिवेदन का भी संज्ञान लिया और सम्यक विचारोपरान्त परिषद इस निष्कर्ष पर पहुची की डा0 अभिषेक मिश्रा द्वारा अपने आवेदन में त्रुटिपूर्ण उल्लेख किया गया है। परिषद का मत है कि इस कदाचार के लिये डा0 मिश्रा को दीर्घ दण्ड दिया जाना चाहिए परन्तु कदाचार की प्रवृत्ति के दृष्टिगत यह दण्ड सेवा से निष्कासन/बर्खास्तगी का नहीं हो सकता है। परिषद ने डा0 मिश्रा के दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ स्थायी रूप से रोकने तथा इसकी प्रविष्टी इनके वार्षिक मूल्यांकन में किये जाने का निर्देश दिया।

(अपेक्षित कार्यवाही–कुलसचिव)

2025–1.11 **विश्वविद्यालय परिसर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्कूल ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी में कार्यरत डा0 विकास बाजपेयी, वर्तमान में सम्बद्ध श्री विशम्भर दयाल त्रिपाठी राजकीय महाविद्यालय, रसूलपुर रूरी, गंजमुरादाबाद, उन्नाव के सम्बन्ध में जॉच अधिकारी द्वारा प्रेषित जॉच आख्या पर विचार।**

परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्कूल ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी में कार्यरत डा0 विकास बाजपेयी, वर्तमान में सम्बद्ध श्री विशम्भर दयाल त्रिपाठी राजकीय महाविद्यालय, रसूलपुर रूरी, गंजमुरादाबाद, उन्नाव के सम्बन्ध में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या का संज्ञान लिया गया। डा0 विकास बाजपेयी के विरूद्ध आरोप पत्र में उल्लिखित चारों आरोप जांच अधिकारी के निष्कर्ष के अनुसार सिद्ध पाये गये है। परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय के नियमावली के अध्याय–24 के अनुच्छेद–12–ज व झ सपठित शपथ पत्र के प्रस्तर–14 में दिये गये प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुये जांच आख्या के संदर्भ में डा0 विकास बाजपेयी को अपना पक्ष कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाय। तद् संदर्भ में डा0 विकास बाजपेयी को पत्र निर्गत करते हुये निर्गमन के एक सप्ताह के अन्दर कुलसचिव के समक्ष जांच आख्या के संदर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिये अवगत कराया जाय। परिषद ने कुलसचिव द्वारा जांच आख्या के

निष्कर्षों एवं तद्सन्दर्भ में डा0 विकास बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत अपने पक्ष पर सम्यक विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के क्रम में अनुशासनात्मक कार्यवाही के संम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु कुलपति को अधिकृत किया।

(अपेक्षित कार्यवाही–कुलसचिव / प्रशासनिक अधिकारी (SFS))

2025–1.12 **विश्वविद्यालय परिसर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्कूल ऑफ बेसिक साइंस के कैमेस्ट्री विभाग में कार्यरत डा0 श्रुति मिश्रा वर्तमान में सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालय, लोटना पुरवा, उन्नाव के सम्बन्ध में जॉच अधिकारी द्वारा प्रेषित जॉच आख्या पर विचार।**

परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्कूल ऑफ बेसिक साइंस के कैमेस्ट्री विभाग में कार्यरत डा0 श्रुति मिश्रा वर्तमान में सम्बद्ध, राजकीय महाविद्यालय, लोटना पुरवा, उन्नाव के सम्बन्ध में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या का संज्ञान लिया गया। डा0 श्रुति मिश्रा के विरुद्ध आरोप पत्र में उल्लिखित दोनों आरोप जांच अधिकारी के निष्कर्ष के अनुसार सिद्ध पाये गये है। परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय के नियमावली के अध्याय–24 के अनुच्छेद–12–ज व झ सपठित शपथ पत्र के प्रस्तर–14 में दिये गये प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुये जांच आख्या के संदर्भ में डा0 श्रुति मिश्रा को अपना पक्ष कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाय। तद संदर्भ में डा0 श्रुति मिश्रा को पत्र निर्गत करते हुये निर्गमन के एक सप्ताह के अन्दर कुलसचिव के समक्ष जांच आख्या के संदर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिये अवगत कराया जाय। परिषद ने कुलसचिव द्वारा जांच आख्या के निष्कर्षों एवं तद्सन्दर्भ में डा0 श्रुति मिश्रा द्वारा प्रस्तुत अपने पक्ष पर सम्यक विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के क्रम में अनुशासनात्मक कार्यवाही के संम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु कुलपति को अधिकृत किया।

(अपेक्षित कार्यवाही–कुलसचिव / प्रशासनिक अधिकारी (SFS))

2025–1.13 **शिक्षकगण को ड्यूटी अवकाश (Duty Leave) अनुमन्य करने एवं प्रतिबन्ध की शर्तो पर विचार।**

परिषद ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिक कर्मचारियों के नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय अधिनियम–2018 को उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या–600 / सत्तर–1–2019–16(114) / 2010 दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा निदेशित प्रतिबन्धों के अधीन, विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 30 जून, 2019 को सम्पन्न अपनी बैठक के अन्य बिन्दुओं के क्रमांक–2 के अन्तर्गत अंगीकृत किये जाने का संज्ञान लिया।

उपरोक्त के दृष्टिगत कार्य परिषद द्वारा, प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय परिसर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत आबद्ध शिक्षकों को विशेष आकस्मिक अवकाश का लाभ निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया:–

29-03-2025

1. किसी शैक्षिक सत्र में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत आबद्ध शिक्षकों को अधिकतम् 15 दिवसों का विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होगा।
2. विशेष आकस्मिक अवकाश माननीय कुलपति महोदय से स्वीकृत होने के उपरान्त ही मान्य होगा और तद्उपरान्त ही उपभोग किया जा सकता है।
3. विशेष आकस्मिक अवकाश किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिए अनुमन्य नहीं होगा जिसमें शिक्षक को आनलाइन प्रतिभाग का अवसर है।
4. विशेष आकस्मिक अवकाश राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों, प्रदेश / केन्द्र सरकार के विशिष्ट अनुरोध या कार्यक्रमों, प्रदेश / केन्द्रीय विश्वविद्यालयों राष्ट्रीय महत्व के संशाधनों की शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग के लिए ही अनुमन्य होगा।

(अपेक्षित कार्यवाही–कुलसचिव)

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

अ0बि0–01 **डॉ0 राजेश कुमार, सह–आचार्य, लाइफ साइंस विभाग के प्रकरण के सम्बन्ध में।**

कार्य परिषद, डॉ0 राजेश कुमार, सह–आचार्य, लाइफ साइंस विभाग को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या– सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सा0प्रशा0 / 216 / 03.03.2025 एवं तत्संदर्भ में डा0 राजेश कुमार द्वारा साक्षात्कार में उपस्थित न होने तथा इस सम्बन्ध में राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश को प्रेषित विश्वविद्यालय के पत्रांक–सीएसजेएमयू / वीसीसी / 1950 / 2025 दिनांक 11.03.2025 से संज्ञानित हुई।

परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यू0जी0सी0 के नियमानुसार आगामी छः माह तक इनके कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार न किया जाय।

(अपेक्षित कार्यवाही–कुलसचिव (प्रशा0)

अ0बि0–02 **स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित विभिन्न विभागों में कार्यरत 04 तकनीकी सहायक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन रू0 35400 / – दिये जाने के सम्बन्ध में।**

निदेशक, यू0आई0ई0टी0, सी0एस0जे0एम0 विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि यू0आई0ई0टी0 में कार्यरत तकनीकी सहायक श्री शैलेश कुमार (E-970), श्री लक्ष्मण राजपूत (E-951), श्री धर्मेन्द्र निषाद (E-1024) एवं श्री सुजीत श्रीवास्तव (E-1026) को वेतन के रूप में 29,200 / – प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है जबकि कार्यालय आदेश संख्या–सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सा0प्रशा0 / प0स्व0वि0पो0पा0 / 240 / 2024 दिनांक 24.10.2024 द्वारा अन्य तकनीकी सहायकों को रू0 35,400 / –प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है। निदेशक, यू0आई0ई0टी0 द्वारा उपरोक्त तकनीकी सहायकों को भी 35,400 / – प्रतिमाह प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

25.03.2025

कार्यपरिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त कार्यालय आदेश में दिये गये शर्तों के अधीन तकनीकी सहायक श्री शैलेश कुमार (E-970), श्री लक्ष्मण राजपूत (E-951), श्री धर्मेन्द्र निषाद (E-1024) एवं श्री सुजीत श्रीवास्तव (E-1026) को अन्य कर्मचारियों की भांति रू0 35,400/- प्रति माह का वेतन माह अप्रैल, 2025 से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त कर्मचारीगण को पूर्व अवधि का कोई एरियर देय नहीं होगा।

(अपेक्षित कार्यवाही–कुलसचिव/प्रशासनिक अधिकारी (SFS)

अ0बि0–03 ग्रीन एचीवमेंट रिपोर्ट–2024–25 के सम्बन्ध में।

महामहिम कुलाधिपति/राज्यपाल महोदया की प्रेरणा से 'अर्थात फाउण्डेशन' द्वारा संचालित 'अपना बरतन बैंक' के अन्तर्गत मुख्य रूप से प्लास्टिक एवं डिस्पोज़ल का उपयोग न करने तथा जीरो यूज़ ऑफ प्लास्टिक के सम्बन्ध में प्रस्तुत ग्रीन एचीवमेंट रिपोर्ट–2024–25 से माननीय कार्य परिषद अवगत हुई।

(अपेक्षित कार्यवाही–नोडल/डीन, इनोवेशन)

अ0बि0–04 अपरेन्टिस ट्रेनी को इंटर्नशिप हेतु सेवा योजित किये जाने पर विचार।

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे अपरेन्टिस ट्रेनी को 11 माह के लिए कार्य पर रखा जाता है। कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत विभागाध्यक्ष द्वारा उनकी सेवायें संतोषजनक होने के स्थिति में एक माह के अन्तराल पर उन्हे साक्षात्कार के माध्यम से अधिकतम 08 अपरेन्टिस ट्रेनी को इंटर्नशिप हेतु 11 माह के लिए रूपये 10,000/- प्रति माह पर रखे जाने के प्रस्ताव पर कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अपेक्षित कार्यवाही–प्रभारी, अपरेन्टिस/इंटर्नशिप)

अ0बि0–05 छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में कार्यरत कर्मचारियों के सभी पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान सम्बन्धी रोक को हटाये जाने के सम्बन्ध में विचार।

माननीय सांसद कानपुर लोकसभा श्री रमेश अवस्थी जी के पत्र दिनांक 09.03.2025 के क्रम में उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त पत्रांक 65/बी०आई०पी०/2025 मं.उ०शि०/2025 दिनांक 11.03.2025 के माध्यम से छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त अन्य प्रकार के पारिश्रमिक/मानदेय दिये जाने के प्रकरण पर नियमानुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए गये है।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में कार्यरत कर्मचारियों को विभिन्न पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान विगत 30–35 वर्षों से विश्वविद्यालय की वित्त समिति एवं कार्य परिषद के अनुमोदन के उपरान्त दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति–2020 लागू होने के उपरान्त विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षायें प्रतिवर्ष दो बार सम्पन्न करानी पड़ रही है जिससे विश्वविद्यालय कर्मचारियों को कार्यालय समय के अतिरिक्त भी कार्य करना पड़ रहा है जिसके क्रम में उक्त भुगतान कर्मचारियों को दिया जा रहा था।

उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग द्वारा निर्गत पत्र स० उ०शि० मं0 87/सत्तर दिनांक 07.11.2024 द्वारा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त दिये जाने वाले अन्य सभी प्रकार के पारिश्रमिक/मानदेय पर तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक रोक लगाने के निर्देश प्रदान किये गये थे जिसके अनुपालन में ऐसे भुगतानों

29-03-2025

पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी। तदक्रम में उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 65/वी0आई0पी०/2025 मं0उ0शि0/2025 दिनांक 11.03.2025 द्वारा उक्त प्रकरण पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश प्रदान किए गये है जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुयी है तथा कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार उसका भुगतान किए जाने की माँग की जा रही है।

अतः कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की वित्त समिति एवं कार्य परिषद द्वारा पूर्व से अनुमोदित कर्मचारियों के पारिश्रमिक/मानदेय को उन्हें प्रदान किए जाने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शासकीय नियमों के अनुरूप यथोचित दिशा–निर्देश प्राप्त किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किया जाय।

अपेक्षित कार्यवाहीः कुलसचिव

अन्त में कुलसचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

25.03.2025
डा०(अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव/सचिव

प्रो०(विनय कुमार पाठक)
कुलपति/अध्यक्ष

कार्यालय पत्रांकः सी.एस.जे.एम.वि.वि./सा.प्रशा./..273....../2025, दिनांक 29.03.2025

प्रतिलिपिः
1. मा0 सदस्यगण–कार्यपरिषद की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।
3. सम्बन्धित पत्रावली।

25.03.2025
डा०(अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव/सचिव